

कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक दक्षिण पश्चिम कमान खातीपुरा रोड जयपुर-302012

OFFICE OF PRINCIPAL CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS JAIPUR

KHATIPURA ROAD, JAIPUR-302012

महत्वपूर्ण परिपत्र

सं: प्रशा/वेतन/101/परिपत्र/टीए/डीए/एलटीसी
सेवा मे,

दिनांक 11/10/2018

- 1. प्रभारी अनुभाग
- समस्त अनुभाग
- (स्थानीय)
- समस्त अधीनस्थ कार्यालय


संदर्भ:- इस अनुभाग का महत्वपूर्ण परिपत्र संख्या AN/PAY/101/CIRCULAR Dated 21.02.2018

प्रशासन वेतन अनुभाग द्वारा उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के माध्यम से यात्रा भत्ता दावे प्रस्तुत करने की समय सीमा के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए थे फिर भी यह देखा गया है कि प्रशासन-वेतन अनुभाग में प्राप्त यात्रा भत्ता के दावे यात्रा समाप्ति के 2 माह पश्चात भी प्रेषित किए जा रहे हैं। जिसे उच्च अधिकारियों के द्वारा गंभीरतापूर्वक लिया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2018 के अनुसार " यात्रा भत्ता दावा यात्रा समाप्ति के 60 दिन के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि इस अवधि में दावा नहीं किया जाता है तो उसे जब्त (Forfeit) माना जाएगा।"

आवेक्ष में यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करते समय उपरोक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

प्रतिनिधि:

ईडीपी अनुभाग:- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु


समूह अधिकारी
(प्रशा-वेतन)

— ६५१ —
लेखा अधिकारी
(प्रशा-वेतन)